संख्या: 46/2016/839प्रो0/51-2016-11(34)/2013

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2016

विषय:- यशभारती सम्मान से अलंकृत राज्य अतिथिगणों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि यशभारती सम्मान, 2016 से अलंकृत महानुभावों के लखनऊ में पधारने पर उनके प्रवास व भोजन की व्यवस्था के निमित्त क्लार्क होटल, लखनऊ से संबंधित देयको के व्यय को वहन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल होटल क्लार्क से संबंधित देयकों की धनराशि **रू0 5,04,160 /- (रूपये पांच लाख चार हजार एक सौ साठ मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2053- जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर -093-जिला स्थापनायें -03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर प्रोटोकाल अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

संलग्नक : (मूल रूप में)

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 46/2016/839 (1)प्रो/51-2016-11(34)/2013,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
4- राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 ।
5- प्रबन्धक होटल क्लार्क अवध, 8, एम0 जी0 मार्ग, लखनऊ ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।